

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति मीणा (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 68/2023

प्रविष्टि दिनांक :- 30.06.2023

वादीगण :-

1. राजू पुत्र रामधन जाति बलाई उम्र 45 वर्ष निवासी रायपुरिया खुर्द तह0 चाकरसू जिला-जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- कस्तुरी पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- तारा पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- नैन पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- बाबूलाल पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- बिरधीचन्द पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- रुकमणी पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- रामधन पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- सुखराज पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाइ तह0 निवाइ जिला-टोंक राज0
- तहसीलदार निवाइ तहसील निवाइ जिला-टोंक
- उपपंजीयक निवाइ जिला-टोंक

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाइ व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है। वादी का वाद तहसीलदार निवाइ से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 2438 रकबा 1.1255 हैक्टेयर, ख0नं0 2439 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाइ तहसील निवाइ जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार निवाइ से प्राप्त पीडी रिपोर्ट, किया जाता है जिसका विस्तृत रूप से उल्लेख आदेश में वर्णित है। तहसीलदार निवाइ आदेश में वर्णित रकबे के अनुसार आदेश की पालना करें।

(प्रीति मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, निवाइ

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

आज दिनांक 15/12/23 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
प्रीति (टीका)
निवाइ (टीका)
उपखण्ड अधिकारी, निवाइ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति मीणा (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 68 / 2023

प्रविष्टि दिनांक :- 30.06.2023

वादीगण :-

1. राजू पुत्र रामधन जाति बलाई उम्र 45 वर्ष निवासी रायपुरिया खुर्द तह0 चाकसू जिला-जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कस्तुरी पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
2. तारा पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
3. नैन पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
4. बाबूलाल पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
5. बिरधीचन्द पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
6. रूकमणी पुत्री घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
7. रामधन पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
8. सुखराज पुत्र घासी जाति रेगर निवासी गली नं0 14 शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला-टोंक राज0
9. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला-टोंक
10. उपपंजीयक निवाई जिला-टोंक

निर्णय

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 15/12/23

उपस्थित- श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता वादी

पैरोकार सरकार

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 2438 रकबा 1.1255 हैक्टेयर, ख0 नं0 2439 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर वाद को तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.11.2025 को हिस्से व मोके कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया था। तहसीलदार निवाई से कुर्रैजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना मे तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 18067 दिनांक 15.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा हेतु वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा भी वाद अंतिम रूप से डिक्री फरमाये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक

प्रतिवादीगण का बाद सूचना अनुपरिथत रहना भी उनकी स्वीकारोक्ति को ही दर्शाता है। ऐसे में वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट के आधार पर तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है खसरा नंबर 2438 रकबा 1.1255 हैक्टेयर, ख0नं0 2439 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-कस्बा निवाई, पटवार मण्डल- कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई, जिला टोंक		खसरा नं0-2438, 2439 (रकबा हैक्टेयर मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1 वादी	राजू पुत्र रामधन जाति बलाई उम्र 45 वर्ष निवासी रायपुरिया खुर्द तह0 चाकसू जिला-जयपुर	2438	1.1255
		2439/1	0.2366
	योग	किता-2	1.3621
2 प्रतिवादीगण	कस्तुरी, तारा, नैन, रूकमणी पुत्रीया घांसी जमना पत्नी घांसी-फोट बाबूलाल बिरधीचन्द रामधन सुखराज पि0 घासी जाति रेगर सा0 देह खातेदार	2439 / 2	1.3621
	योग	किता-1	1.3621
03 सामलाती	राजू पुत्र रामधन जाति बलाई उम्र 45 वर्ष निवासी रायपुरिया खुर्द तह0 चाकसू जिला-जयपुर हिंसा 1/2 कस्तुरी, तारा, नैन, रूकमणी पुत्रीया घांसी, जमना पत्नी घांसी-फोट, बाबूलाल बिरधीचन्द रामधन सुखराज पि0 घासी जाति रेगर सा0 देह खातेदार हिंसा 1/2	2439 / 3	0.02
	योग	किता-1	0.02

आज दिनांक 15/11/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(~~उपखण्ड अधिकारी~~)
उपखण्ड अधिकारी (टोंक)
निवाई